बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–02 / कर / शुल्क–05 / 2020, परि0 7360 **पटना, दिनांक**–6/10/2020

ई–मेल / निबंधित

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार ।
पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।
सभी प्रवर्त्तन निरीक्षक / प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

विषय :– मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं को दिनांक–01.10.2020 से लागू करने के संबंध में।

प्रसंग :– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 3311 (अ), दिनांक–25.09.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कतिपय धाराओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 3110 (अ), दिनांक–28.08.2019 के आलोक में दिनांक–01.09.2019 से प्रभावी किया गया था, जिसके अनुपालन हेतु इस विभाग के पत्रांक–6473, दिनांक–30.08.2019 द्वारा निदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

उपर्युक्त के क्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 3311 (अ), दिनांक–25.09.2020 द्वारा मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा–45, धारा–74, धारा–88 को धारा–90 एवं धारा–91 के खण्ड (i) का उपखंड (ख) को **दिनांक–01.10.2020** से प्रभावी किया गया है।

अतः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 3311 (अ), दिनांक–25.09.2020 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

सुलभ–संदर्भ हेतु मोटरयान (संशोधन), 2019 की प्रति बिहार सरकार, परिवहन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
30/9
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 02 / कर / शुल्क–05 / 2020, परि0 7360 पटना, दिनांक– 6/10/2020

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव / पुलिस महानिदेशक, बिहार / सचिव / विभागाध्यक्ष को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O.

E:\RAJEEV SIR\LETTERS.docx

888

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222015
CG-DL-E-26092020-222015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2959] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
No. 2959] NEW DELHI FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

का.आ. 3311(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्तूबर, 2020 को ऐसी तरीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

क्रम संख्या	धाराएं
1.	धारा 45 ;
2.	धारा 74 ;
3.	धारा 88 ;
4.	धारा 90 ;
5.	धारा 91 के खंड (i) का उपखंड (ख)

[फा. सं. आर टी -11036/65/2019-एम वी एल (भाग 1)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

(133)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

S.O. 3311(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2020 as the date on which the provisions of following sections of the said Act shall come into force, namely: —

Sl. No.	sections
1.	Section 45;
2.	section 74;
3.	section 88;
4.	section 90 ;
5.	sub-clause (b) of clause (i) section 91;

[F. No. RT-11036/65/2019-MVL (Part 1)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

ज्ञापांक :– 02 / कर / शुल्क–05 / 2020, परि0 7360 पटना, दिनांक– 6/10/2020

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना / आई0टी0मैनेजर, परिवहन विभाग बिहार, पटना को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना से अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

3. आई0टी0मैनेजर, परिवहन विभाग बिहार, पटना से अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।